



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1340]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2016/ज्येष्ठ 11, 1938

No. 1340]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2016/ JYAISTHA 11, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 01 जून, 2016

का.आ. 1934(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 जून, 2016 को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख नियत करती है, अर्थात्:—

क्र.सं.	धाराएं
1.	धारा 7 की उपधारा (7) [खंड (ग) और (घ) के सिवाय]
2.	धारा 14 की उपधारा (1) का दूसरा परंतुक
3.	धारा 14 की उपधारा (2)
4.	धारा 55 की उपधारा (3)
5.	धारा 61 की उपधारा (1) के खंड (ख) का परंतुक
6.	धारा 62 की उपधारा (4) से उपधारा (6)
7.	धारा 71 की उपधारा (9) से उपधारा (11)
8.	धारा 75
9.	धारा 97
10.	धारा 98
11.	धारा 99
12.	धारा 119 की उपधारा (4)

13.	धारा 130
14.	धारा 131
15.	धारा 140 की उपधारा (4) का दूसरा परंतुक और उपधारा (5)
16.	धारा 169 की उपधारा (4)
17.	धारा 213
18.	धारा 216 की उपधारा (2)
19.	धारा 218
20.	धारा 221
21.	धारा 222
22.	धारा 224 की उपधारा (5)
23.	धारा 241, धारा 242 [उपधारा (1) के खंड (ख), उपधारा (2) के खंड (ख) और (छ) के सिवाय], धारा 243, धारा 244 और धारा 245
24.	धारा 399 की उपधारा (2) में 'अधिकरण' शब्द का संदर्भ
25.	धाराएं 415 से धारा 433 (दोनों को सम्मिलित करते हुए)
26.	धारा 434 की उपधारा (1)(क) और (ख)
27.	धारा 434 की उपधारा (2)
28.	धारा 441
29.	धारा 466

[फा. सं. ए-45011/14/2016-प्रशा.IV]

प्रीतम सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 01st June, 2016

S.O. 1934(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 01st day of June, 2016 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely :—

Sl. No.	Section
1.	Sub-section (7) of section 7 [except clause (c) and (d)]
2.	Second proviso to sub-section (1) of section 14
3.	Sub-section (2) of section 14
4.	Sub-section (3) of section 55
5.	Proviso to Clause (b) of sub-section (1) of section 61
6.	Sub-sections (4) to (6) of section 62
7.	Sub-sections (9) to (11) of section 71
8.	Section 75
9.	Section 97
10.	Section 98

11.	Section 99
12.	Sub-section (4) of section 119
13.	Section 130
14.	Section 131
15.	Second proviso to sub-section (4) and sub-section (5) of section 140
16.	Sub-section (4) of section 169
17.	Section 213
18.	Sub-section (2) of Section 216
19.	Section 218
20.	Section 221
21.	Section 222
22.	Sub-sections (5) of section 224
23.	Sections 241, 242 [except clause (b) of sub-section (1), clause (c) & (g) of sub-section (2)], 243, 244, and 245
24.	Reference of word 'Tribunal' in sub-section (2) of section 399
25.	Sections 415 to 433 (both inclusive)
26.	Sub-section (1)(a) and (b) of section 434
27.	Sub-section (2) of section 434
28.	Section 441
29.	Section 466

[F. No. A-45011/14/2016-Ad.IV]

PRITAM SINGH, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 01 जून, 2016

का.आ. 1935(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 419 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की निम्नलिखित न्यायपीठों का स्तंभ (3) में वर्णित स्थान पर अवस्थित और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए गठन करती है, अर्थात्:—

तालिका

क्र.सं.	न्यायपीठ का नाम	अवस्थिति	न्यायपीठ का क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(क) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ (ख) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली न्यायपीठ	नई दिल्ली	(1) हरियाणा राज्य (2) राजस्थान राज्य (3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
2.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अहमदाबाद न्यायपीठ	अहमदाबाद	(1) गुजरात राज्य (2) मध्यप्रदेश राज्य (3) दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र (4) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र
3.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद न्यायपीठ	इलाहाबाद	(1) उत्तर प्रदेश राज्य (2) उत्तराखंड राज्य
4.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, बंगलुरु न्यायपीठ	बंगलुरु	(1) कर्नाटक राज्य

5.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ न्यायपीठ	चंडीगढ़	(1) हिमाचल प्रदेश राज्य (2) जम्मू-कश्मीर राज्य (3) पंजाब राज्य (4) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
6.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चैन्नई न्यायपीठ	चैन्नई	(1) केरल राज्य (2) तमिलनाडु राज्य (3) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र (4) पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र
7.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, गुवाहाटी न्यायपीठ	गुवाहाटी	(1) अरुणाचल प्रदेश राज्य (2) असम राज्य (3) मणिपुर राज्य (4) मिजोरम राज्य (5) मेघालय राज्य (6) नागालैंड (7) सिक्किम राज्य (8) त्रिपुरा राज्य
8.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, हैदराबाद न्यायपीठ	हैदराबाद	(1) आंध्र प्रदेश राज्य (2) तेलंगाना राज्य
9.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता न्यायपीठ	कोलकाता	(1) बिहार राज्य (2) झारखंड राज्य (3) ओडिशा राज्य (4) पश्चिम बंगाल राज्य (5) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
10.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुंबई न्यायपीठ	मुंबई	(1) छत्तीसगढ़ राज्य (2) गोवा राज्य (3) महाराष्ट्र राज्य

[फा. सं. ए-45011/14/2016-प्रशा.IV]

प्रीतम सिंह, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2016

S.O. 1935(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 419 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby constitutes the following Benches of the National Company Law Tribunal mentioned in column (2) of the table below, located at the place mentioned in column (3) and to exercise the jurisdiction over the area mentioned in column (4), namely:—

TABLE

Serial Number	Title of the Bench	Location	Territorial Jurisdiction of the Bench
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(a) National Company Law Tribunal, Principal Bench. (b) National Company Law Tribunal, New Delhi Bench.	New Delhi	(1) State of Haryana. (2) State of Rajasthan. (3) Union territory of Delhi.
2.	National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench.	Ahmedabad	(1) State of Gujarat. (2) State of Madhya Pradesh.

			(3) Union territory of Dadra and Nagar Haveli. (4) Union territory of Daman and Diu.
3.	National Company Law Tribunal, Allahabad Bench.	Allahabad	(1) State of Uttar Pradesh. (2) State of Uttarakhand.
4.	National Company Law Tribunal, Bengaluru Bench.	Bengaluru	(1) State of Karnataka.
5.	National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench.	Chandigarh	(1) State of Himachal Pradesh. (2) State of Jammu and Kashmir. (3) State of Punjab. (4) Union territory of Chandigarh.
6.	National Company Law Tribunal, Chennai Bench.	Chennai	(1) State of Kerala. (2) State of Tamil Nadu. (3) Union territory of Lakshadweep. (4) Union territory of Puducherry.
7.	National Company Law Tribunal, Guwahati Bench.	Guwahati	(1) State of Arunachal Pradesh. (2) State of Assam. (3) State of Manipur. (4) State of Mizoram. (5) State of Meghalaya. (6) State of Nagaland. (7) State of Sikkim. (8) State of Tripura.
8.	National Company Law Tribunal, Hyderabad Bench.	Hyderabad	(1) State of Andhra Pradesh. (2) State of Telangana.
9.	National Company Law Tribunal, Kolkata Bench.	Kolkata	(1) State of Bihar. (2) State of Jharkhand. (3) State of Odisha. (4) State of West Bengal. (5) Union territory of Andaman and Nicobar Islands.
10.	National Company Law Tribunal, Mumbai Bench.	Mumbai	(1) State of Chhattisgarh. (2) State of Goa. (3) State of Maharashtra.

[F. No. A-45011/14/2016-Ad.IV]

PRITAM SINGH, Addl. Secy.